

भाग III

हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 दिसम्बर, 2007

संख्या सा० का० नि० 31/संवि०/अनु० 309/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय (राज्य आई टी ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय (राज्य आई टी ग्रुप ग) सेवा नियम, 2007, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा;

(घ) “निदेशालय” से अभिप्राय है, निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा का कार्यालय;

(ङ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में राज्य सरकार;

(च) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(छ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय (राज्य आई टी ग्रुप ग) सेवा।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट ‘क’ में बताये गये पद होंगे :

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

परन्तु इन नियमों में दी गई कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के लिए सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक

सेवा में नियुक्त किए गए उमीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंज़ानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) ज़ांबिया, मलावी, ज़ायरे तथा ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख),(ग),(घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की ठीक पूर्ववर्ती मास के प्रथम दिन को या से पूर्व चालीस वर्ष से अधिक या 17 वर्ष से कम आयु का है, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में भर्ती नहीं किया जाएगा :

परन्तु प्रोग्रामर, शिक्षा अधिकारी, डाटा बेस मैनेजर, सहायक डाटा बेस मैनेजर, कनिष्ठ प्रोग्रामर, एनीमेशन एक्सपर्ट/मल्टी-मीडिया एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाईनर, वैब डिजाईनर, नेट वर्किंग सहायक, हार्ड वेयर सहायक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक के मामले में अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष होगी :

परन्तु यह और की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की दशा में अधिकतम आयु सीमा ऐसी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा नियत की जाए :

परन्तु यह और की उन कर्मचारियों के लिए जो किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय

सरकार की सेवा में पहले से ही है, कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

6. सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति इन नियमों के परिशिष्ट ग में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।

नियुक्ति प्राधिकारी  
अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो :

अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

निरहताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

भर्ती का ढंग।

(क) प्रोग्रामर की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) शिक्षा अधिकारी की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) डाटा बेस मैनेजर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) सहायक डाटा बेस मैनेजर में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) सहायक डाटा बेस मैनेजर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) जूनियर प्रोग्रामर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) एनीमेशन एक्सपर्ट एवं मल्टीमीडिया एक्सपर्ट की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) ग्राफिक डिजाईनर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) वैब डिजाईनर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(झ) नेट वर्किंग-सहायक की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;



(अ) 'हार्ड वेयर' सहायक की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ट) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सेवा में जब कोई रिक्ति होती है अथवा होने वाली हो तो निदेशक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए रीति निर्धारित करेगा जिसमें पद भरा जाना है ।

(3) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो जयेष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल वरिष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा :

परीक्षा ।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निश्चित परीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय, जैसी भी स्थिति हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में से ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किए गए थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;
  - (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
  - (iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :
- परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप में उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाए जाएं।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।



अनुशासन शक्तियां  
तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में बताया गया हो।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगावाएगा या जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगावाएगा।

राजनिष्ठा की  
शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले भी भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की  
शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों की किन्हीं उपबन्धों में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती हैं।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा  
व्यावृत्ति।

20. (1) पंजाब शिक्षा विभाग (निदेशक लोक शिक्षा कार्यालय, पंजाब) लिपिकीय सेवा नियम, 1941 जहां तक वे इन नियमों के परिशिष्ट क में विनिर्दिष्ट पदों से सम्बन्धित हैं, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से तुरन्त पूर्व सेवा के किसी सदस्य को लागू नियम उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उस सीमा तक जिससे इन नियमों में से किसी को उनका अहित न हो ऐसे सदस्य को लागू रहेंगे।



परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	प्रोग्रामर	2	—	2	6500-200-10500 रुपये
2.	शिक्षा अधिकारी	2	—	2	6500-200-10500 रुपये
3.	डाटा बेस मैनेजर	1	—	1	6500-200-10500 रुपये
4.	सहायक डाटा बेस मैनेजर	3	—	3	5500-175-9000 रुपये
5.	जूनियर प्रोग्रामर	4	—	4	5000-150-7850 रुपये
6.	एनीमेशन एक्सपर्ट एवं मल्टी मीडिया एक्सपर्ट	2	—	2	5000-150-7850 रुपये
7.	ग्राफिक डिजाइनर	1	—	1	5000-150-7850 रुपये
8.	वेब डिजाइनर	1	—	1	5000-150-7850 रुपये
9.	नेट वर्किंग सहायक	2	—	2	5000-150-7850 रुपये
10.	हार्डवेयर सहायक	2	—	2	5000-150-7850 रुपये
11.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक	12	—	12	3050-75-4500 रुपये

## परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	प्रोग्रामर	(i) बी०ई०/बी० टैक(इलेक्ट्रॉनिक्स तथा काम्यूनिकेशन) या एम०एस०सी० (कम्प्यूटर साईंस) या एम०सी०ए० (कम से कम 55% अंकों सहित) (ii) एस०क्यू०आई० सरवर, वी०बी०, ए०एस०पी०, नेट इत्यादि के गहन ज्ञान वाली किसी विख्यात कम्पनी में साफ्टवेयर विकास का एक वर्ष का अनुभव। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत	जूनियर प्रोग्रामर पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।
2.	शिक्षा अधिकारी	(i) बी०ई०/बी० टैक(इलेक्ट्रॉनिक्स तथा काम्यूनिकेशन) या एम०एस०सी० (कम्प्यूटर साईंस) या एम०सी०ए० (कम से कम 55% अंकों सहित) (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत	(i) बी०ई०/बी० टैक(इलेक्ट्रॉनिक्स तथा काम्यूनिकेशन) या एम०एस०सी० (कम्प्यूटर साईंस) या एम०सी०ए० (कम से कम 55% अंकों सहित) (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत
3.	डाटा बेस मैनेजर	(i) बी०ई०/बी० टैक(इलेक्ट्रॉनिक्स तथा काम्यूनिकेशन) या एम०एस०सी० (कम्प्यूटर साईंस) या एम०सी०ए० (कम से कम 55% अंकों सहित) (ii) एस०क्यू०आई० सरवर, वी०बी०, ए०एस०पी०, नेट इत्यादि के गहन ज्ञान में गहराई वाली किसी विख्यात कम्पनी में मैनेजिंग डाटा बेस तथा साफ्टवेयर विकास का एक वर्ष का अनुभव। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत	सहायक डाटा बेस मैनेजर पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।
4.	सहायक डाटा बेस मैनेजर	(i) पी०जी०डी०सी०ए० या डी०ओ०ई० से ए स्तर के कोर्स सहित बी०एस०सी० (नॉन-मैडिकल) (ii) तीन वर्ष का अनुभव (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत	(i) पी०जी०डी०सी०ए० या डी०ओ०ई० से ए स्तर के कोर्स सहित बी०एस०सी० (नॉन-मैडिकल)। (ii) तीन वर्ष का अनुभव। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत

1	2	3	4
5.	जूनियर प्रोग्रामर	(i) ए०पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०। डाटा एनट्री आप्रेटर का पांच वर्ष बी०सी०ए०/बी०एस०सी०(कम्प्यूटर साईस) का अनुभव रखता हो। (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत	
6.	एनीमेशन एक्सपर्ट एवं मल्टीमीडिया एक्सपर्ट	(i) मल्टीमीडिया में कम से कम 6 मास के पूर्ण कालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों सहित स्नातक या फाईनल आर्ट में स्नातक; (ii) डिजाईनिंग, मल्टीमीडिया, प्रदर्शन, टुटोरियल, वेबसाईट यूजिंग-मैक्रोमीडिया फ्लैश/ड्रीम वीवर/3 डी मैक्स तथा एडोब प्रीमियर/फोटोसोप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत	(i) मल्टीमीडिया में कम से कम 6 मास के पूर्ण कालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों सहित स्नातक या फाईनल आर्ट में स्नातक; (ii) डिजाईनिंग, मल्टीमीडिया, प्रदर्शन, टुटोरियल, वेबसाईट यूजिंग मैक्रोमीडिया फ्लैश/ड्रीम वीवर/3 डी मैक्स तथा एडोब प्रीमियर/फोटोसोप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत
7.	ग्राफिक डिजाईनर	(i) डी०टी०पी० तथा ग्राफिक डिजाईन पर डिप्लोमा सहित प्रथम श्रेणी में दस जमा दो। (ii) डिजाईनर/डी०टी०पी० के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत	(i) डी०टी०पी० तथा ग्राफिक डिजाईन पर डिप्लोमा सहित प्रथम श्रेणी में दस जमा दो। (ii) डिजाईनर/डी०टी०पी० के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत
8.	वैब डिजाईनर	(i) मल्टीमीडिया में कम से कम 6 मास का पूर्ण कालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों सहित स्नातक या फाईनल आर्ट में स्नातक; (ii) डिजाईनिंग, मल्टीमीडिया, प्रदर्शन, टुटोरियल, वेबसाईट यूजिंग मैक्रोमीडिया फ्लैश/ड्रीम वीवर/3 डी मैक्स तथा एडोब प्रीमियर/फोटोसोप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत	(i) मल्टीमीडिया में कम से कम 6 मास का पूर्ण कालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों सहित स्नातक या फाईनल आर्ट में स्नातक; (ii) डिजाईनिंग, मल्टीमीडिया, प्रदर्शन, टुटोरियल, वेबसाईट यूजिंग मैक्रोमीडिया फ्लैश/ड्रीम वीवर/3 डी मैक्स तथा एडोब प्रीमियर/फोटोसोप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो।

1	2	3	4
			(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।
9. नेटवर्किंग सहायक	<p>(i) कम्प्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स तथा काम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा;</p> <p>(ii) किसी कम्पनी में दो वर्ष का सुसंगत अनुभव सी०आई०एस०सी०ओ०/डी लिंक/इंटेल्/3 कम्प्यूनिवेशन से अनुप्रमाणित पाठ्यक्रमों सहित या किसी ख्याति प्राप्त कम्पनी में (कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले सी०आई०एस०सी०ओ०/डी लिंक/इंटेल्/3 कम्प्यूनिवेशन में से किसी एक में अनुप्रमाणित पाठ्यक्रमों सहित स्नातक व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा।</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।</p>	<p>(i) कम्प्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स तथा काम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा;</p> <p>(ii) किसी कम्पनी में दो वर्ष का सुसंगत अनुभव सी०आई०एस०सी०ओ०/डी लिंक/इंटेल्/3 कम्प्यूनिवेशन से अनुप्रमाणित पाठ्यक्रमों सहित या किसी ख्याति प्राप्त कम्पनी में (कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले सी०आई०एस०सी०ओ०/डी लिंक/इंटेल्/3 कम्प्यूनिवेशन में से किसी एक में अनुप्रमाणित पाठ्यक्रमों सहित स्नातक व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा।</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।</p>	
10. हार्डवेयर सहायक	<p>(i) किसी ख्याति प्राप्त संगठन में नेट वर्क वर्किंग प्रबन्धन में पांच वर्ष के अनुभव सहित प्रथम श्रेणी में इंजीनियरिंग में स्नातक/सी०आई०एस०सी०ओ०/डी लिंक/इंटेल्/3 कम्प्यूनिवेशन से अनुप्रमाणित पाठ्यक्रमों वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा।</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।</p>	<p>(i) किसी ख्याति प्राप्त संगठन में नेट वर्क वर्किंग प्रबन्धन में पांच वर्ष के अनुभव सहित प्रथम श्रेणी में इंजीनियरिंग में स्नातक/सी०आई०एस०सी०ओ०/डी लिंक/इंटेल्/3 कम्प्यूनिवेशन से अनुप्रमाणित पाठ्यक्रमों वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा।</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।</p>	



1	2	3	4
11.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक	<p>(i) द्वितीय श्रेणी में 10 जमा 2 या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा का प्रमाण पत्र;</p> <p>(iii) किसी ख्याति प्राप्त फर्म या सरकारी कार्यालय में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रूप में एक वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iv) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आशुलिपि के ज्ञान वाले को अधिमान दिया जाएगा;</p> <p>(v) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।</p>	<p>(i) द्वितीय श्रेणी में 10 जमा 2 या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा का प्रमाण पत्र;</p> <p>(iii) किसी ख्याति प्राप्त फर्म या सरकारी कार्यालय में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रूप में एक वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iv) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आशुलिपि के ज्ञान वाले को अधिमान दिया जाएगा;</p> <p>(v) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।</p>

1	2	3	4	5	6
		(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।			
1	जोसाय	जोसाय के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	
2	शिक्षा अधिकारी	शिक्षा अधिकारी के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	नवनिर्देशक	नवनिर्देशक	
3	प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	विशेष अधिकारी	विशेष अधिकारी	
4	सहायक छात्रावास निरीक्षक	सहायक छात्रावास निरीक्षक के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	सहायक निरीक्षक	सहायक निरीक्षक	
5	पुनर्वसन अधिकारी	पुनर्वसन अधिकारी के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	अवर निदेशक	अवर निदेशक	
6	एसीएस/एसएसपी एवं माली मीटिंग एसीएस	एसीएस/एसएसपी एवं माली मीटिंग एसीएस के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	एसीएस/एसएसपी	एसीएस/एसएसपी	
7	प्रशासनिक निदेशिका	प्रशासनिक निदेशिका के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	प्रशासनिक निदेशिका	प्रशासनिक निदेशिका	
8	वेब डिजाइनर	वेब डिजाइनर के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	वेब डिजाइनर	वेब डिजाइनर	
9	नैदानिक सहायक	नैदानिक सहायक के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	नैदानिक सहायक	नैदानिक सहायक	
10	सर्वेक्षक सहायक	सर्वेक्षक सहायक के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	सर्वेक्षक सहायक	सर्वेक्षक सहायक	
11	छात्र एनटी आर्गुमेंट एवं आधुनिक	छात्र एनटी आर्गुमेंट एवं आधुनिक के निम्नलिखित विवरणों पर आधारित होगा—	छात्र एनटी आर्गुमेंट एवं आधुनिक	छात्र एनटी आर्गुमेंट एवं आधुनिक	

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	प्रोग्रामर	(क) पैंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।	आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग।
2.	शिक्षा अधिकारी			
3.	डाटा बेस मैनेजर			
4.	सहायक डाटा बेस मैनेजर			
5.	जूनियर प्रोग्रामर	(ख) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	अपर निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारी	आयुक्त एवं महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।
6.	एनीमेशन एक्सपर्ट एवं मल्टी मीडिया एक्सपर्ट			
7.	ग्राफिक डिजाईनर			
8.	वेब डिजाईनर			
9.	नैटवर्किंग सहायक			
10.	हार्डवेयर सहायक			
11.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक			

राजन गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शिक्षा विभाग।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT****EDUCATION DEPARTMENT****Notification**

The 7th December, 2007

**No. G.S.R 31/Const./Art. 309/2007.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana School Education Directorate (State IT Group C), service namely:—

Short title and  
commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana School Education Directorate (State I.T. Group C) Service Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission;
- (b) "direct & recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Director" means the Director of School Education, Haryana;
- (d) "Directorate" means the office of the Director of School Education, Haryana;
- (e) "Government" means the State Government in the Administrative Department;
- (f) "recognized university" means, —
  - (i) Any University incorporated by law in India; or
  - (ii) any other university which may be declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules ; and
- (g) "Service" means the Haryana School Education Directorate (State I.T.Group C) Service.

Number and  
character of  
posts.

3. The Service shall comprise the posts specified in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make addition to, or reductions in, the number of such posts



or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to the Service, unless he is—

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malwai, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Nationally  
domicile and  
character of  
candidates  
appointed to  
Service.

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person, in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to Service by direct appointment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and a similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university college, school or institution.

5. No person shall be recruited to Service by direct appointment who is more than 40 years or less than 17 years of age on or before the 1st day of the month next preceding the last date of submission of applications to the Commission :

Age.

Provided that the maximum age limit in the case of Programmer, Education Officer, Data Base Manager, Assistant Data Base Manager, Junior Programmer, Animation Expert/Multi-media Expert, Graphic Designer, Web Designer, Networking Assistant, Hardware Assistant and Data Entry Operator-cum-Stenographer shall be 40 years:

Provided further that in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and

Ex-servicemen, the upper age limit shall be such as may be fixed by Government from time to time :

Provided further that there shall be no upper age limit for employees who are already in the service of any State Government or the Central Government.

Appointing  
authority.

6. Appointment to the various posts in the Service shall be made by authorities mentioned in Appendix C to these rules.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct appointment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed other than by direct recruitment :

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority. In case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of  
recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Programmer, —

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by promotion from Junior Programmer ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the services of any State Government;

(b) in the case of Education Officer,—

- (i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;

(c) in the case of Data Base Manager,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by promotion from amongst Assistant Data Base Manager; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;

(d) in the case of Assistant Data Base Manager,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;

(e) in the case of Junior Programmer,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by promotion from amongst Data Entry Operator;

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;

(f) in the case of Animation expert cum Multi Media expert,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;

(g) in the case of Graphic Designer,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;

(h) in the case of Web Designer,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;

(i) in the case of Net Working Assistant,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;



- (j) in the case of Hardware Assistant,—
  - (i) by direct recruitment; or
  - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;
- (k) in the case of Data Entry Operator cum Stenographer,—
  - (i) by direct recruitment; or
  - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government;

(2) When any vacancy occurs or is about to occur in the Service, the Director shall determine in what manner such vacancy shall be filled in.

(3) All promotions, whether from one grade to another from one class of Service to another class of Service, shall be made on Seniority cum merit base and Seniority alone shall not above any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service, shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if recruited otherwise”:

Provided that —

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
  - (b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to the Service may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority be allowed to count towards the period of probation;
  - (c) any period of officiating appointment fixed under the rules; and shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services;
  - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment—
    - (i) revert him to his former post; or
    - (ii) deal with him in such other manner as the terms and



conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
  - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
  - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
  - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, not been satisfactory,—
  - (i) dispense with his services if appointed by direct recruitment, or if appointed otherwise, revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
  - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. The seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to  
serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside of the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

(i) A company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central Government or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Leave, pension  
and other  
matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline  
penalties and  
appeal.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authorities empowered to impose such penalties and the appellate authorities shall, subject to the provisions of any law or rules made under Article 309 of the Constitution of India, be such as specified in Appendix 'c' to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule of rule 9 of the Haryana Civil Service ((Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix 'D' to these rules.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take an oath of allegiance to India and the Constitution of India as by law established.

Oath of allegiance.

17. Where the Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order; for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

Powers of relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions, in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Special Provisions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Reservations.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

20. (1) The Punjab Education Department (Office of the Director of Public Instruction, Punjab) Clerical Services Rules, 1941, in so far as they relate to the posts specified in Appendix 'A' to these rules, are hereby repeated:

Repeal and saving.

Provided that anything done or any action taken under the rules so repeated shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal, the rules applicable to any member of the Service immediately before the 1st day of November, 1966, in respect of his conditions of service to the extent to which any of these rules are to his disadvantage, shall continue to apply to such member.

## APPENDIX A

(See rule 3)

Serial No.	Designation of the post	Number of Posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Programmer	2	—	2	Rs.6500-200-10500
2	Education Officer	2	—	2	Rs. 6500-200-10500
3	Data Base Manager	1	—	1	Rs. 6500-200-10500
4	Assistant Data Base Manager	3	—	3	Rs.5500-175-9000
5	Junior Programmer	4	—	4	Rs. 5000-150-7850
6	Animation Expert/Multi Media Expert	2	—	2	Rs. 5000-150-7850
7	Graphic Designer	1	—	1	Rs. 5000-150-7850
8	Web Designer	1	—	1	Rs. 5000-150-7850
9	Networking Assistant	2	—	2	Rs. 5000-150-7850
10	Hardware Assistant	2	—	2	Rs. 5000- 150-7850
11	Data Entry Operator cum Stenographer	12	—	12	Rs.3050-75-4500



**APPENDIX B**

(See rule 7)

Serial No.	Designation of post	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Programmer	<p>(i) B.E/B.Tech (Electronics Comm.) Or M.Sc (Comp.Sc.) Or MCA (with atleast 55% marks).</p> <p>(ii) 1 year experience of software development in a reputed company having in-depth knowledge of SQL Server, VB, ASP.Net etc.</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard .</p>	Junior Programmer having the experience 5 years.
2.	Education Officer	<p>(i) B.E/B. Tech (Electronics Comm.) Or M.Sc (Comp. Sc.) or M.C.A.(with atleast 55% marks).</p> <p>(ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>	<p>(i) B.E/B. Tech (Electronics Comm.) Or M.Sc. (Comp. Sc.) or M.C. A.(with atleast 55% marks)</p> <p>(ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>
3.	Data Base Manager	<p>(i) B.E./B.Tech (Electronics &amp; Comm.) Or M.Sc. (Comp.Sc.) Or MCA (with atleast 55% marks)</p> <p>(ii) 1 year experience of managing database and software development in a reputed company having in-depth knowledge of SQL Server, VB, ASP.Net etc.</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard .</p>	Assistant Data Base Manager having 5 years experience.

1	2	3	4
4.	Assiatant Data Base Manager	(i) BCA/B.Sc (Non-Med.) with PGDCA or A level course from DOE. (ii) with three years experience. (iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.	(i) BCA/B.Sc. (Non-Med.) with PGDCA or A level course from DOE. (ii) with three years experience. (iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.
5.	Junior Programmer	(i) APGDCA/PGDCA/BCA/ B.Sc. (Comp. Science) (ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.	Data Entry Operator having five years experience.
6.	Animation Expert- cum-Multi Media Expert	(i) Graduate with minimum 6 months full time Certificate Course in Multimedia or Bachelor in Fine Arts. (ii) Having minimum 2 years experience in designing multimedia presentations, tutorials, websites using macromedia Flash/Dream- weaver/3D Max and Adobe Premier/Photoshop. (iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.	(i) Graduate with minimum 6 months full time Certificate Course in Multimedia or Bachelor in Fine Arts. (ii) Having minimum 2 years (experience in designing multimedia presentations, tutorials, websites using macromedia Flash/ Dream-weaver/3D Max and Adobe Premier/ Photoshop. (iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.
7.	Graphic Designer	10+2 with 1st Division with Diploma DTP and Graphic Designer. (ii) Having minimum 3 years experience as Designer / DTP. (iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.	10+2 with 1st Division with Diploma DTP and Graphic Designer. (ii) Having minimum 3 years experience as Designer / DTP. (iii) Matric with Hindi/ Sanskrit.

1	2	3	4
8.	Web Designer	<p>(i) Graduate with minimum 6 (months full time Certificate Course in Multimedia/Web Designing Or bachelor in Fine Arts</p> <p>(ii) Having minimum 2 years experience in designing multimedia presentations, tutorials, websites using macromedia Flash/Dream-weaver/3D max and Adobe Premier/Photoshop.</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>	<p>(i) Graduate with minimum 6 (months full time Certificate Course in Multimedia/Web Designing Or bachelor in Fine Arts.</p> <p>(ii) Having minimum 2 years experience in designing multimedia presentations, tutorials, websites using macromedia Flash/Dream-weaver/3D max and Adobe Premier/Photoshop.</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>
9.	Networking Assistant	<p>3 years diploma in Computers/electronics &amp; Comm./electronics engg.</p> <p>(ii) 2 years relevant experience in a Company. Preference shall be given to persons with certified courses from CISCO/De-Link/Intel/3-Com Or Graduate with any of the Certified courses from CISCO/De-Link/Intell/3 Com having 3 years experience in a reputed company. (With minimum 55% of marks).</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>	<p>3 years diploma in Computers/ electronics &amp; Comm./electronics engg.</p> <p>(ii) 2 years relevant experience in a Company. Preference shall be given to persons with certified courses from CISCO/De-Link/Intel/3-Com Or Graduate with any of the Certified courses from CISCO/De-Link/Intell 3 Com having 3 years experience in a reputed company. (With minimum 55 % of marks).</p> <p>(iii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>

1	2	3	4
10.	Hardware Assistant	<p>(i) Graduate in Engineering in 1st Division with 5 years experience in networking management in a reputed organization. Persons with certified courses from CISCO/De-Link/Intel/3-Com shall be given preference.</p> <p>(ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>	<p>(i) Graduate in Engineering in 1st Division with 5 years experience in networking management in a reputed organization. Persons with certified courses from CISCO/De-Link/Intel/3-Com shall be given preference.</p> <p>(ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>
11.	Data Entry Operator-cum-Stenographer	<p>(i) 10+2 with 2nd Division or Graduation from a recognized University;</p> <p>(ii) Certificate of Computer Application/Post Graduation Diploma in Computer Application/ Advanced Post Graduation Diploma in Computer Application from a recognized University</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>From a recognized Computer Education Training Institute.</p> <p>(iii) 1 Year experience as Data Entry Operator in reputed firm or Govt. Office;</p> <p>(iv) Preferably knowledge of Stenography in both language Hindi and English;</p> <p>(v) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>	<p>(i) 10+2 with 2nd Division or Graduation from a recognized University;</p> <p>(ii) Certificate of Computer Application/Post Graduation Diploma in Computer Application/ Advanced Post Graduation Diploma in Computer Application from a recognized University</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>From a recognized Computer Education Training Institute.</p> <p>(iii) 1 Year experience as Data Entry Operator in reputed firm or Govt. Office;</p> <p>(iv) Preferably knowledge of Stenography in both language Hindi and English;</p> <p>(v) Hindi/Sanskrit upto matric standard.</p>



APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of the official	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Programmer	Commissioner and Director General	<b>1. Minor Penalties :—</b> (i) warning with a copy in the personal file (character roll); (ii) Censure; or (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; (v) withholding of increments of pay without cumulative effect;	Commissioner and Director General	Commissioner and Secretary to Government
2.	Education Officer Data Base Manager	School Education, Haryana, Chandigarh.		School Education Haryana, Chandigarh.	Haryana Education Department.
3.	Assistant Data Base Manager	Additional Director-cum-Administrative Officer		Additional Director-cum-Administrative Officer	Commissioner and Director General School Education Haryana, Chandigarh.
4.	Junior Programmer				
5.	Animation Experts-cum-Multimedia				
6.	Graphics Designer				
7.	Web Designer				
8.	Networking Assistant				
9.	Hardware Assistant				
10.	Data Entry Operator-cum-Stenographers				
11.					

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**2. Major Penalties :—**

			(vi) withholding of increments of pay without cumulative effect;		
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;		
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was		

1	2	3	4	5	6
			reduced and his seniority and pay on such restoration to the grade, post or service;		
			(ix) compulsory retirement;		
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;		
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment		
			(a) Suspension; or		
			(b) reduction to a lower post or to a lower stage in a lower time scale; or		
			(c) removal from service which does not disqualify for future employment; or		
			(d) dismissal from service which does ordinarily disqualifies for future employment.		

## APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of the official	Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Programmer	(a) reducing or withholding the amount of ordinary/ additional pension admissible under the rules governing pension;	Commissioner and Director General School Education, Haryana, Chandigarh.	Commissioner and Secretary to Government Haryana, Education Department.
2.	Education Officer			
3.	Data Base Manager			
4.	Assistant Data Base Manager	(b) terminating the appointments of a member of the service otherwise than on his attaining the age of superannuation.	Additional Director-cum-Administrative Officer	Commissioner and Director General School Education Haryana, Chandigarh.
5.	Junior Programmer			
6.	Animation Experts-cum-Multimedia experts			
7.	Graphics Designer			
8.	Web Designer			
9.	Networking Assistant			
10.	Hardware Assistant			
11.	Data Entry Operator-cum-Stenographer			

RAJAN GUPTA,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Education Department, Chandigarh.